

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2013—कार्तिक 17, शक 1935

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ग)

### अन्तिम नियम

### पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2013

### अधिसूचना

क्रमांक 4-1/2012/54-1, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

### नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ,

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2013 है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## 2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
- (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है सेवा में भरती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;
- (घ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें को यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा;
- (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

## 3. विस्तार तथा लागू होना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

## 4. सेवा का गठन.

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
  - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व, सेवा में भरती किये गये हों, और;
  - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किए गए हों।
5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

## 6. भरती का तरीका :- (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भरती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

- (क) सीधी भरती द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा; या चयन द्वारा;
  - (ख) अनुसूची-चार-के-कालम-(2)-में दर्शाए गए अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,
  - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, मूल हैसियत में धारण करते हों,
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, आयोग के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी,
- (4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात्, उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट किये गये सेवा में भरती के उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इन निमित्त जारी किये गए आदेश द्वारा विहित करे।

7. सेवा में नियुक्ति,— इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भरती के लिए पात्रता की शर्तें :— चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(एक) आयु :— (क) उसने चयन प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु-सीमा उस सीमा तक तथा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए :

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकरस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी,

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से पांच वर्ष से अधिक नहीं हो,

**स्पष्टीकरण** — “पद छंटनी किये गये सरकारी सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(घ) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्तें इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण** — पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा है और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अतिशेष घोषित किया गया हो;

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्त (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,

उसे सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(4) संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा

असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहे;

- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,
- (ड) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों की उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी:  
परन्तु महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी,
- (छ) आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के उच्च जाति के सवर्ण पति-पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी,
- (ज) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी,
- (झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,
- (ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नानकमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा की गई नगर-सेना सेवा की कालावधि अधिकतम 5 वर्ष के अध्यक्षीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु ऐसे मामलों में ऐसी छूट देने पर संबंधित नगर सैनिक अधिकारी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं हो।

**टिप्पणी :-**

- (1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन हेतु पात्र पाये जाते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे,
- (2) प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा की गणना परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3 दिनांक 03.11.2012 एवं 20.11.2012 के अनुसार की जाएगी,
- (3) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।
- (2) **शैक्षणिक अर्हताएं :-** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनुसूची-तीन में दर्शाई गई हैं, परन्तु -
- (क) आपवादिक मामले में आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने या चयन के लिए विचार करने में न्यायोचित ठहराती हों; और
- (ख) उन अभ्यर्थियों का, जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उपाधियां ली हैं, आयोग के विवेकाधिकार पर परीक्षा या चयन में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकेगा।
- (3) **फीस :-** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा।

**9. निरर्हता :**

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में निरर्हता माना जाएगा।
- (2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :  
परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता नहीं होगा।
- (4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा— परीक्षा के लिए प्रवेश देने के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती—

- (1) भरती की लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, आयोग से परामर्श कर समय-समय पर अवधारित करें।
- (2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी जैसे कि सरकार आयोग से परामर्श करके समय-समय पर जारी करें।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे तथा ऐसा आरक्षण समस्तर रूप में और श्रेणी (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) अनुसार होगा।
- (5) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे जो निःशक्तजन हो या ऐसे अन्य प्रवर्गों के हों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए। उक्त आरक्षण समस्तर रूप में एवं श्रेणी के अनुसार होगा,

स्पष्टीकरण — उप-नियम (3) एवं (4) के प्रयोजन के लिए समस्तर रूप में तथा श्रेणी अनुसार आरक्षण से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनारक्षित प्रवर्ग में आरक्षण,

- (6) जब विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षित पद उस वर्ग के उपयुक्त अभ्यर्थियों के अभाव में भरा नहीं जा सकता हो तो पद रिक्त रखा जाएगा, और तब तक अग्रनीत (केरीड फारवर्ड) किया जायगा जब तक उस विशिष्ट वर्ग के, जिसके लिए वह पद आरक्षित किया गया था, सदस्य द्वारा भरा नहीं जाए,
- (7) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियाँ अनन्य रूप से उसी वर्ग या वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए तब तक पुनः विज्ञापित की जाएंगी जब तक कि ऐसी समस्त रिक्तियाँ भरी नहीं जाती।
- (8) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा।
- (9) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो,
- (10) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों का, जिन्हें, प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा,
- (11) ऐसे मामलों में जहाँ सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्तों के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी या लोक सेवा आयोग की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी या लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्तों को शिथिल कर सकेगा,

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची :

- (1) आयोग, अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में बनाई गई सूची तैयार करेगा जो ऐसे स्तर से अर्हित हैं, जैसा कि आयोग अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं। सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा,

- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु, चयन किए गए अभ्यर्थियों पर, उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हैं,
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है,
- (4) नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व चरित्र सत्यापन संबंधी रिपोर्ट अभिप्राप्त की जाएगी,
- (5) सूची, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके लिए जारी किए जाने की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी,
- 13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :**
- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे :  
परन्तु इस उप-नियम के अधीन समिति का गठन करने के प्रयोजन के लिए, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा.
- (2) समिति, ऐसे अंतराल पर जैसे कि वह उचित समझे, परन्तु सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार, अपनी बैठक करेगी,
- (3) पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमाएं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों तथा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार होगी,
- 14. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :**
- (1) उप-नियम (2) के अध्याधीन रहते हुए नियम 13 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर निचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उस पद पर जिससे कि पदोन्नति की जाना है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप से) या सरकार द्वारा अनुसूची-चार के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट उनके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर पूर्ण कर ली हों और जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :  
परन्तु इमरजेन्सी कमीशन तथा अल्पावधि कमीशन से निर्मुक्त अधिकारियों की सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 22166/1967/1(3)/67 दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से उन्हें सेवा में नियुक्ति माना गया हो.  
परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, चयन श्रेणी (सिलेक्शन ग्रेड)/पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु केवल इस आधार पर कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है, किन्हीं वरिष्ठ व्यक्तियों पर अधिमान नहीं दिया जाएगा।
- (2) चयन के लिए विचारार्थ क्षेत्र "योग्यता-सह-ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या में सामान्यतः सात गुना अधिक व्यक्तियों तक और "ज्येष्ठता-सह-योग्यता" के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच गुना अधिक व्यक्तियों तक सीमित होगी :  
परन्तु यदि उस प्रकार निर्धारित किए गये क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो उसे समिति उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह आवश्यक समझे, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए बढ़ा सकेगी।
- 15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार किया जाना:**
- (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की सूची एक सूची तैयार करेगी जो ऊपर नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा-निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत

- व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित (अनफोरसीन) रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी,
- (2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन, वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।
  - (3) ऐसी चयन सूची को तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट उनकी सेवा या पदों में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे,

**स्पष्टीकरण :-** ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा,

- (4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.
- (5) यथार्थिचि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान यदि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित करना प्रस्तावित किया जाता है तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

**16. आयोग से परामर्श :**

विभागीय पदोन्नति समिति की जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग से पृथक से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

**17. चयन सूची :**

- (1) सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित की गयी सूची अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में दर्शाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।
- (2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता ऐसी सूची तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में सरकार की प्रेरणा द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

**18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :**

- (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संबर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आए हों,
- (2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आई हो, जिससे कि वह सरकार की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

**19. परिवीक्षा और नियमितिकरण :**

- (1) सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
- (2) किसी भी व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सेवा में किसी ऐसे पद पर तब तक नियमित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने परिवीक्षा की कालावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण न कर ली हो, अथवा विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण न कर ली हो, अथवा ऐसा पद धारण करने के लिए सरकार या पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय द्वारा अधिकथित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त न किया हो।

20. पदक्रम सूची :

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय के प्रत्येक प्रवर्ग के अधिकारियों की, अनुसूची— एक में उल्लिखित पदों के अनुसार पदक्रम सूची तैयार की जाएगी। ऐसी सूची में प्रवर्ग अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में अधिकारियों के नाम दर्शित किये जाएंगे।

21. निर्वचन :

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

22. शिथिलीकरण :

इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्याय संगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

23. व्यावृत्ति

इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

24. निरसन — इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती दशपुत्रे, अवर सचिव.



**अनुसूची - एक**  
**(नियम - 5 देखिए)**  
**वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या**

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान + ग्रेडपे	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयुक्त/संचालक	01	भा.प्र.से.	भा.प्र.से.का सुपर टाईम स्केल	
2.	पीठासीन अधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) म.प्र. राज्य वक्फ अधिकरण के लिए	01	प्रथम श्रेणी एच.जे.एस.	57700-1230-58930-1380-6 7210- 1540-70290	राज्य न्यायिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
3.	संचालक, (पिछड़ा वर्ग राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल)	01	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8900	
4.	सचिव, अल्पसंख्यक आयोग (अपर संचालक अथवा संवर्ग वेतनमान में)	01	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8700 अथवा संवर्ग वेतनमान	
5.	संयुक्त संचालक 01 (सर्व वक्फ आयुक्त) संयुक्त संचालक 01 (संचालनालय के लिए)	02	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	
6.	उपसंचालक 01 (क) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग (ख) उपसंचालक 01 (संचालनालय के लिए) (ग) उपसंचालक 01 (पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए)	03	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600 अथवा संवर्ग वेतनमान	
7.	अनुसंधान अधिकारी (पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए)	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	
8.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	वित्त तथा लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
9.	सहायक संचालक (क) सहायक संचालक (प्रशासन) 1. जिला कार्यालय के लिए-50 2. संचालनालय के लिए-03 (ख) सहायक संचालक (प्रशिक्षण) -01 रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र	54	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	सहायक अनुसंधान अधिकारी (संचालनालय के लिए)	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	
11.	अनुभाग अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) (अल्पसंख्यक आयोग के लिए)	01	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200	
12.	अनुसंधान अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) (अल्पसंख्यक आयोग के लिए)	01	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200	
13.	निज सचिव 1. पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 04 2. निज सचिव अल्पसंख्यक आयोग के लिए 01	05	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200	
14.	छात्रावास वार्डन (व्याख्याता के समकक्ष)	57	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+3200	

अनुसूची -दो  
(नियम - 6 देखिए)  
भारती का तरीका

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			आयुक्तियाँ
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम -6 (1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिए)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आयुक्त	01	-	-	100%	भा. प्र. से. से प्रतिनियुक्ति पर
2.	पीठासीन अधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) म.प्र. राज्य वक्फ अधिकरण के लिए	01	-	-	100%	राज्य न्यायिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
3.	संचालक, (पिछड़ा वर्ग राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल)	01	-	100%	-	सचिव, अल्पसंख्यक आयोग अपर संचालक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
4.	सचिव, अल्पसंख्यक आयोग (अपर संचालक अथवा संवर्ग वेतनमान में)	01	-	100% या	100%	संयुक्त संचालक के पद से पदोन्नति द्वारा अथवा यदि विभागीय पद उपलब्ध न हो तो अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा
5.	संयुक्त संचालक सर्वे वक्फ आयुक्त-01 संचालनालय के लिए संयुक्त संचालक -01	02	-	100%	-	उपसंचालक/अनुसंधान अधिकारी के पद से (संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर) पदोन्नति द्वारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	<p>उपसंचालक (क) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग 01</p> <p>(ख) उपसंचालक संचालनालय -01</p> <p>(ग) उपसंचालक पिछड़ा वर्ग आयोग-01</p>	03	-	100%	-	<p>(क) सहायक संचालक के पद से पदोन्नति द्वारा अथवा अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा</p> <p>(ख) सहायक संचालक के पद से पदोन्नति द्वारा</p>
7.	<p>अनुसंधान अधिकारी पिछड़ा वर्ग आयोग</p>	01	-	100%	-	<p>सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा</p>
8.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	-	-	-	<p>वित्त एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर</p>
9.	<p>सहायक संचालक (प्रशासन)</p> <p>1. जिला कार्यालय के लिए-50 पद</p> <p>2. संचालनालय के लिए-03 पद</p> <p>(ख) सहायक संचालक (प्रशिक्षण) राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिए -01 पद</p>	54	50% (27 पद)	50% (27 पद)	-	<p>(1) 50% पद अनुभाग अधिकारी, निरीक्षक, छात्रावास वार्डन, निज सचिव, अधीक्षक से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे), निरीक्षक के पद से 15 पद, वार्डन के पद से 10 पद एवं अनुभाग अधिकारी, निज सचिव, अधीक्षक के पद से 02 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।</p> <p>(2) सहायक संचालक (प्रशिक्षण) के पद हेतु व्यक्ति को न्यूनतम 3 वर्ष के प्रशिक्षण संबंधी अनुभव को अधिमानता दी जाएगी।</p>
10.	<p>सहायक अनुसंधान अधिकारी (संचालनालय के लिए)</p>	01	-	100%	-	<p>सहायक सांख्यिकी अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) के पद से पदोन्नति द्वारा</p>
11.	<p>अनुभाग अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) (अल्पसंख्यक आयोग)</p>	01	-	100%	-	<p>अधीक्षक/सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	अनुसंधान अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) (अल्पसंख्यक आयोग के लिए)	01	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा
13.	निज सचिव पिछड़ा वर्ग आयोग- 04 निज सचिव अल्पसंख्यक आयोग-01	05	--	100%	-	शीघ्र लेखक वर्ग -2 के पद से पदोन्नति द्वारा
14.	छात्रावास वार्डन (ब्याख्याता के समकक्ष)	57	100%	-	-	सीधी भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा

## अनुसूची -तीन

(नियम - 8 देखिए)

सीधी भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

अनक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय					
1.	सहायक संचालक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक की उपाधि एवं/या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करता हो	50% पद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी (कनिष्ठ वतनमान)	21 वर्ष	40 वर्ष	मानव वाणिज्य/सांख्यिकी विज्ञान/अर्थशास्त्र/स्नातकोत्तर उपाधि (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)	-
3.	छात्रावास वार्डन (व्याख्याता के समकक्ष)	21 वर्ष	40 वर्ष	स्नातकोत्तर उपाधि (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)	राज्यशासन द्वारा चयन अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा

अनुसूची - चार  
(नियम - 13 देखिए)

अनु क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है,	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है।	कालम (3) में दर्शाए पद पर पदोन्नति के लिए कालम (2) में दर्शाए पद पर की सेवा के वर्षों की संख्या अर्हताकारी सेवा की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय					
1.	सचिव अल्पसंख्यक आयोग या अपर संचालक	संचालक (पिछड़ा वर्ग राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल)	03 वर्ष	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन-सदस्य (3) आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश-सदस्य सचिव	-
2.	संयुक्त संचालक या सर्वे वक्फ आयुक्त	अपर संचालक या सचिव अल्पसंख्यक आयोग	3 वर्ष	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन-सदस्य (3) आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश-सदस्य- सचिव	-
3.	सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग/ उपसंचालक/ अनुसंधान अधिकारी (संयुक्त वरिष्ठता सूची के अनुसार)	संयुक्त संचालक या सर्वे वक्फ आयुक्त	3 वर्ष	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन-सदस्य (3) आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश-सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	सहायक प्रशासन सहायक प्रशिक्षण संचालक या संचालक	उप-संचालक	5 वर्ष	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन-सदस्य (3) आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश-सदस्य सचिव	
5.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	अनुसंधान अधिकारी	5 वर्ष	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन-सदस्य (3) आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश-सदस्य सचिव	
6.	अनुभाग अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान)	सहायक संचालक	5 वर्ष	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन-सदस्य (3) आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश-सदस्य सचिव	
7.	अनुसंधान अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान)	सहायक अनुसंधान अधिकारी	5 वर्ष	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का सदस्य-अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन-सदस्य (3) आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश-सदस्य सचिव	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	छात्रावास वार्डन, या व्याख्याता अधीक्षक या निज सचिव या निरीक्षक के समतुल्य	सहायक संचालक (प्रशासन) या सहायक संचालक (प्रशिक्षण)	5 वर्ष	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का सदस्य- अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन-सदस्य (3) आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश-सदस्य सचिव	
9.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	सहायक अनुसंधान अधिकारी	5 वर्ष	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का सदस्य- अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन-सदस्य (3) आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश-सदस्य सचिव	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती दशपुत्रे, अवर सचिव.

No. 4-1-2012-54-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Backward Classes and Minority Welfare Department (Gazetted) Service, namely:—

## RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Backward Classes and Minority Welfare Department (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires ;—

- (a) “Appointing Authority” means State Government in respect of the Service;
- (b) “Commission” means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) “Examination” means competitive examination to be conducted for recruitment to the service;
- (d) “State Government” means the Government of Madhya Pradesh;
- (e) “Governor” means Governor of Madhya Pradesh;
- (f) “Schedule” means Schedule appended to these rules;
- (g) “Scheduled Caste” means any caste, race, or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (h) “Scheduled Tribe” means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of Constitution of India;
- (i) “Other Backward Classes” means Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84 dated the 26<sup>th</sup> December, 1984 as amended from time to time;
- (j) “Service” means Backward Classes and Minority Welfare Department (Gazetted) Service;
- (k) “State” means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely:—

- (1) Persons who at the time of commencement of these rules are holding any post substantively or officiating capacity specified in Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Scheduled-I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

- (a) By direct recruitment by competitive examination and interview; or by selection
- (b) By promotion of member of service as shown in column (2) of Schedule-IV;
- (c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the commission;

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the service so require, he may after approval of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to Service**—All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.** – In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) **Age.**—(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

- (b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and Other Backward Classes.
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

- (i) A candidate who is a permanent Government Servant, should not be more than 45 years of age.
- (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employee or employee working in the project implementing committees;
- (iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

**Explanation :** The term “retrenched Government Servant” denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration made otherwise for employment in Government Service.

- (d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanations:** The term “Ex-serviceman” denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service :—

- (1) Ex-Serviceman released under mustering out concessions;
- (2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on
  - (a) Completion of short term engagement,
  - (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Ex-personal of Madras civil units;
- (4) Officers (Military and civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned officers;
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) Ex-Serviceman invalidated out of service;
- (7) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (8) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.
- (e) The general age limit shall be relaxable up to five years in respect of widow, destitute or divorced women candidates:

Provided that the upper age limit shall be 45 years in respect of direct recruitment of women candidate.

- (f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme.
- (g) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department.
- (h) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the “Vikram Award” holder candidates.
- (i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State/Corporations/Boards.
- (j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 5 years but in no case the age of concerned Home Guard and Non-Commissioned Officer should exceed 45 years.

**Note.**— (1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concession mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed.

**Note.**— (2) The total relaxed period for every category shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum limit of age shall be calculated in accordance with the circular No. C-3-11/12/1/3 dated the 03-11-2012 and 20-11-2012.

**Note.**— (3) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) Educational qualification.—The Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III, provided that—

- (a) in exceptional cases the Commission may on the recommendation of the Appointing Authority treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examination conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Commission Justifies the consideration of the candidate for appearing in the examination or selection; and
- (b) candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities being University not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of the Commission.

(3) Fees.—The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

#### 9. Disqualification.

- (1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.
- (2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.
- (3) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26<sup>th</sup> January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service for post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26<sup>th</sup> January 2001 in which two or more than two children are born.

- (4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that where it is found that such case is pending in a court for aforesaid offence against a candidate then his case of appointment shall be kept of appointment shall be kept pending till the first decision of that criminal case.

- (5) Such male candidate who has more than one wives alive and the female candidates who marry such a person who has already a wife alive shall not be eligible for appointment.

10. **Commission's Decision about the Eligibility of Candidates shall be final.**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall be admitted to the examination.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination.**— (1) A competitive examination for recruitment shall be held at such intervals as the Appointing authority may, in consultation with the commission, determine from time to time.

(2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders, as the Government may from time to time, issued in consultation with the Commission.

(3) There shall be 16 percent and 20 percent reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 14 percent for other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(4) 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for Appointment of Women) Rules, 1997 and such reservation shall be horizontal and compartment wise.

(5) There shall be reserved post for candidates who are disabled persons or for such other classes as may be determined by the State Government from time to time. Said reservation shall be horizontal and compartment wise. **Explanation.** For the purpose of sub-rule (3) and (4) "horizontal and compartment-wise reservation" means reservation in each category namely, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Unreserved.

(6) When the post reserved for a particular class cannot be filled by candidate of that class, for want of suitable candidates, the post shall be kept unfilled and carried forward till it is filled by member of that particular class for which it was kept reserved.

(7) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised exclusively for the candidates of that class or classes.

(8) The selection of the candidate to the service shall be made by the commission after interviewing them.

(9) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(10) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(11) In Such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority or the Public Service Commission that there is a possibility, the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Appointing Authority or the Public Service Commission may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

**12. List of Candidates Recommended by Commission.** – (1) The Commission shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for General Information.

(2) Subject to be provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 selected candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) Before issuing the appointment orders, the report relating to character verification shall be obtained.

(5) The list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Appointing Authority. The validity shall be extended for a period of six months in consultation with the Commission.

**13. Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, the provisions of section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anaya Pichhde Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals as it thinks fit but ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in Promotion and limits on the extent of zone of consideration shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits of extent of zone of consideration) Rules, 1997 and instructions issued by the Government in General Administration Department, from time to time.

**14. Conditions of eligibility for promotion.-** (1) The committee referred to in sub-rule (1) of rule 13, shall consider the cases all persons who on the 1<sup>st</sup> day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the post from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of the Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that the service of released officers of the emergency commission and short service commission after their appointment in the service shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with General Administration Department's No. 22166/1967/1 (3)/67 dated 21<sup>st</sup> October 1967:

Provided further that no junior person shall be considered for selection for selection-grade/promotion in preference to the persons senior to him only on the basis of completing the prescribed period of service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited in the case of the post to be filled by promotion on the basis of "Merit-cum-seniority" to seven times and in the case of the post to be filled by promotions on the basis of "seniority-cum-merit" to five times the number of persons to be included in the select list:

Provided that if the required number of suitable persons are not available in the zone of consideration so determined, its field may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reasons therefore in writing.

**15. Preparation of the list of suitable candidates.-** (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule-14 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring, during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to the seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service on posts as specified in column (2) of schedule IV at the time of preparation of such select list :

**Explanation :** A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact to his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

**16. Consultation with Commission.**—The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by President or by a member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution of India and a separate consultation with the commission shall not be necessary.

**17. Select List.**—(1) The list finally approved by the Government, shall form the select list for promotion of the members of the service to post shown in column (3) of Schedule IV from column (2) of Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government, and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

**18. Appointment to Service from the select list.**—(1) Appointments of the officers included in the select-list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the commission before the appointment of a person, whose name is included in the select-list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

**19. Probation and Regularization.**—(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) The person appointed on any post of the Backward Classes and Minority welfare Sanchalnalaya service shall not be regularized until the probation period in not completed satisfactorily by him or he has not passed the departmental examination, if any, or he has not undergone training for the post, if any, as laid down by the Government or Backward Classes and Minority welfare Department for holding such post.

**20. Gradation list.**—A gradation list of officers of every category of the Backward Classes and Minority Welfare Department shall be prepared according to the post specified in schedule-1. In such list names of officers shall be shown according to category-wise seniority in the service.

**21. Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision there- on shall be final.

**22. Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable \

Provided that the case shall not be dealt-with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

**23. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time in this respect.

**24. Repeal.**—All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh  
BHARTI DASHPUTRE, Under Secretary.



**SCHEDULE – I**  
(see rule 5)  
**Classification, Scale of Pay and posts included in the service**

S. No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Pay Scale + Grade Pay	Remarks
(1)	(2) /	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commissioner/ Director	1	I.A.S.	Super time scale of I.A.S.	-
2.	Presiding Officer (District and Sessions Judge) of the Madhya Pradesh State Wakf Tribunal	1	Class – I H.J.S.	57700-1230-58930- 1380-67210-1540- 70290	on deputation from State Judicial Service
3.	Director (State Level Employment and Training Centre for Backward Classes)	1	Class – I	37400-67000+8900	
4.	Secretary Minority Commission (Additional Director or in the cadre Pay Scale)	1	Class – I	37400-67000+8700 or cadre Pay scale	
5.	Joint Director – 01 (Survey Wakf Commissioner) Joint Director – 01 (For Sanchalnalay)	2	Class – I	15600-39100+7600	
6.	Deputy Director (a) Secretary Backward Commission – 01 (b) Deputy Director for Sanchalnalay – 01 (c) Deputy Director for Backward Commission – 01	3	Class – I	15600-39100+6600 or cadre pay scale	
7.	Research Officer for Backward Classes Commission	1	Class – I	15600-39100+6600	
8.	Senior Account Officer	1	Class – I	15600-39100+6600	On deputation from Finance and Account Service

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	(a) Assistant Director (Administration) 1. For District Offices – 50 2. For Sanchalnayala – 03 / (b) Assistant Director (Training) for Employment and Training Centre – 01	54	Class – II	15600-39100+5400	
10.	Assistant Research Officer For Sanchalnayala	1	Class – II	15600-39100+5400	
11.	Section Officer Junior Pay-Scale (For Minority Commission)	1	Class – II	9300-34800+4200	
12.	Research Officer Junior Pay Scale (For Minority Commission)	1	Class – II	9300-34800+4200	
13.	Private Secretary (1) For Backward Classes Commission – 04 Private Secretary (2) For Minority Commission – 01	5	Class – II	9300-34800+4200	
14.	Hostel Warden (Equivalent to Lecturer)	57	Class – II	9300-34800+3200	

## SCHEDULE - II

(see rule - 6)

## Method of recruitment

S. No.	Name of the Post included in the Service	Total Number of Posts	Percentage of the Number of posts to be filled in				Remarks
			By direct recruitment [see rule 6 (1) (a) ]	By promotion of the members of service [see rule 6 (1) (b) ]	By transfer of persons of other Services [see rule 6 (1) (c) ]	temporary	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Commissioner	1	-	-	100%	On deputation from I.A.S.	
2.	Presiding Officer (District and Sessions Judge) For Madhya Pradesh State Wakf Tribunal	1	-	-	100%	On deputation from State Judicial Service	
3.	Director (State Level Employment and training centre for Backward Classes Bhopal)	1	-	100%	-	By promotion from the post of Secretary Minority Commission or from the cadre of Additional Director or On deputation from Tribal Welfare Department	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Secretary Minority Commission (Additional Director or in the cadre pay scale)	1	-	100% or	100%	By promotion from the post of Joint Director Or If Departmental post is not available, then by transfer of persons from other Services.
5.	Joint Director for Survey Wakf Commissioner - 01 Joint Director for Sanchalnalaya - 01	2	-	100%	-	By promotion from the post of Deputy Director/Research Officer (on the basis of Joint Seniority List)
6.	Deputy Director (a) Secretary Backward Classes Commission - 01 (b) Deputy Director for Sanchalnalaya - 01 (c) Deputy Director Backward Classes Commission - 01	3	-	100%	-	(a) By promotion from the post of Assistant Director Or By transfer of persons from other services (b) By promotion from the post of Assistant Director (c) By promotion from the post of Assistant Director
7.	Research Officer Backward Classes Commission	1	-	100%	-	By promotion from the post of Assistant Research Officer
8.	Senior Accounts Officer	1	-	-	-	On deputation from Finance and Account Service

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Assistant Director (Administration) 1. For District offices – 50 Posts 2. For Sanchalnalaya – 03 Posts 3. Assistant Director (Training) For State Level Employment and Training Centre – 01 Post	54	50% (27 posts)	50% (27 posts)	-	(1) 50% Posts shall be filled by promotion of Section officer, Inspector, Hostel Warden, Private Secretary and Superintendent(15 Posts shall be filled from the post of Inspector, 10 Posts shall be filled from the post of warden and 2 posts shall be filled from the post of Section Officer, Private Secretary and Superintendent by promotion) (2) For the post of Assistant Director (Training) preference shall be given to the person who has experience of minimum 3 years in respect of training.
10.	Assistant Research Officer (For Sanchalnalaya)	1	-	100%	-	By promotion from the post of Assistant Statistical Officer or Research Officer (Junior pay scale)
11.	Section Officer (Junior pay scale) (for Minority Commission)	1	-	100%	-	By promotion from the post of Superintendent/Assistant Public Relation Officer.
12.	Research Officer (Junior pay scale) (for Minority Commission)	1	100%	-	-	By Direct Recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Private Secretary Backward Classes Commission -04 Private Secretary Minority Commission -01 Hostel Warden (Equivalent to Lecturer)	5 57	- 100%	100% -	- -	By promotion from the Post of Stenographer Grade - II  By direct recruitment or By deputation
14.	Hostel Warden (Equivalent to Lecturer)	57	100%	-	-	By direct recruitment or By deputation

### SCHEDULE -III

(see rule - 8)

S. No.	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
1.	Assistant Director	21 years	40 years	Possessing Graduate Degree from any recognized University and/or possessing qualification prescribed by the State Public Service Commission.	50% selection by State Public Service Commission.
2.	Assistant Research Officer or Research Officer (Junior Pay Scale)	21 years	40 years	Possessing Post Graduate Degree in the subject of Human Science/ Economics/ Commerce/ Statistical Science. (Passed in second Division)	
3.	Hostel Warden (Equivalent to Lecturer)	21 years	40 years	Post Graduate Degree (Passed in second Division)	By selection by the State Government or By deputation

**SCHEDULE - IV**  
(see rule 13)

S. No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the Post to which promotion is to be made	Number of years of service on the post shown in column (2) for promotion to the post shown in column (3). Minimum period of qualifying service	Members of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Secretary Minority Commission or Additional Director	Director (State Level Employment and Training Centre for Backward Classes Bhopal)	3 years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a member of Commission nominated by him- <b>Chairman</b> (2) Principal Secretary/ Secretary, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh - <b>Member</b> (3) Commissioner/ Director, Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnaya Madhya Pradesh - <b>Member-Secretary</b>	
2.	Joint Director or Survey Wakf Commissioner	Additional Director or Secretary Minority Commission	3 years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a member of Commission nominated by him- <b>Chairman</b> (2) Principal Secretary/ Secretary, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh - <b>Member</b> (3) Commissioner/ Director, Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnaya Madhya Pradesh - <b>Member-Secretary</b>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Secretary Backward Classes Commission/Deputy Director/Research Officer (According to Joint Seniority List)	Joint Director or Survey Wakf Commissioner	3 years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a member of Commission nominated by him- <b>Chairman</b> (2) Principal Secretary/ Secretary, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh – <b>Member</b> (3) Commissioner/ Director, Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnalaya Madhya Pradesh – <b>Member-Secretary</b>	
4.	Assistant Director (Administration) or Assistant Director (Training)	Deputy Director	5 years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a member of Commission nominated by him- <b>Chairman</b> (2) Principal Secretary/ Secretary, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh – <b>Member</b> (3) Commissioner/ Director, Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnalaya Madhya Pradesh – <b>Member-Secretary</b>	
5.	Assistant Research Officer	Research Officer	5 years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a member of Commission nominated by him- <b>Chairman</b> (2) Principal Secretary/ Secretary, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh – <b>Member</b> (3) Commissioner/ Director, Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnalaya Madhya Pradesh – <b>Member-Secretary</b>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Section Officer (Junior Pay Scale)	Assistant Director	5 years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a member of Commission nominated by him- <b>Chairman</b> (2) Principal Secretary/ Secretary, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh – <b>Member</b> (3) Commissioner/ Director, Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnalaya Madhya Pradesh – <b>Member-Secretary</b>	
7.	Research Officer (Junior Pay Scale)	Assistant Research Officer	5 years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a member of Commission nominated by him- <b>Chairman</b> (2) Principal Secretary/ Secretary, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh – <b>Member</b> (3) Commissioner/ Director, Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnalaya Madhya Pradesh – <b>Member-Secretary</b>	
8.	Hostel Warden, Equivalent to Lecturer or Superintendent or Private Secretary or Inspector	Assistant Director (Administration) or Assistant Director (Training)	5 years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a member of Commission nominated by him- <b>Chairman</b> (2) Principal Secretary/ Secretary, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh – <b>Member</b> (3) Commissioner/ Director, Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnalaya Madhya Pradesh – <b>Member-Secretary</b>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Assistant Statistical Officer	Assistant Research Officer	5 years	(1) Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a member of Commission nominated by him- <b>Chairman</b> (2) Principal Secretary/ Secretary, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh – <b>Member</b> (3) Commissioner/ Director, Backward Classes and Minority Welfare Sanchalnalaya Madhya Pradesh – <b>Member-Secretary</b>	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

BHARTI DASHPUTRE, Under Secy.